

## आदेश

तिथि  
Dec 18 2019

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा धैया थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
92	803	0 एकड़, 3.3 डिसमील, 0 हेक्टर
का विक्रेता	रिश्ता	अभिभावक का नाम
विक्रेता का नाम	पति	DEEPAK SAW
KAMLA DEVI		
रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
KAMLA DEVI	पति	DIPAK SAW

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 6011 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व कमचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत हेतु अनुशंसा किया गया है दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान 3रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK  
अंचलाधिकारी धनबाद

कमला देवी



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP917931

नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-02
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	29	पृष्ठ संख्या वर्तमान	55	थाना न.	6

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. वर्तमान	भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	ल
7931	2834 /R27 2019 - 2020	धैया/ 6	झरिया	18/12/2019	By Sale Registration Deed 6011 Dated 30/10/2019	92	29	24	92 803 3.3 डिसमील	3

क्रेता का नाम :

(SUSHILA DEVI पति-LAVLESH KUMAR SINGH, जाति-  
- पता-JHARUDIH NEAR HANUMAN MANDIR ROAD  
DHANBAD)

जमाबंदी रैयत का नाम :

KAMLA DEVI-पति-DIPAK SAW

विक्रेता का नाम :

KAMLA DEVI, पति-DEEPAK SAW, व  
VIKASH NAGAR BANK MORE DH/

राजस्व कर्मचारी हलका-02 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।  
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है  
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद

सुशिला देवी